संख्या- 1/2019/148/12-3-2019-100(61)/2012टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: फरवरी, 2019**

विषय:- सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प योजनान्तर्गत **"पहले बैक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओं"** के सिद्धांत पर चयन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-अ0कृ0नि0(सामान्य)/162/सोलर/2018-19, दिनांक 04.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ" के सिद्धांत पर कृषकों के चयन प्रक्रिया दिनांक 07.02.2019 से 16.02.2019 तक प्रारम्भ कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018-19 हेतु सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजनान्तर्गत कुल 10000 सोलर पम्पों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष **"पहले बैक ड्राफ्ट लाओ-पहले सोलर पम्प पाओ"** के सिद्वान्त पर कृषकों के चयन प्रक्रिया दिनांक 11.02.2019 से दिनांक 25.02.2019 के मध्य प्रारम्भ कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2019/148(1)/12-3-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा, बापू भवन, लखनऊ।
5. मुख्य स्टाक आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10. योजनाधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.), कृषि भवन, लखनऊ।
11. संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
12. संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
15. सहायक निदेशक(समन्वय एवं कम्प्यूटर) कृषि भवन, लखनऊ।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in